न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 02/15 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2015/00052

उनवान

शिवचरन आयु 61 साल पुत्र स्व0 रामोली जाति जाटव निवासी नगला बमूरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. चरन सिंह आयु 55 साल पुत्र रामहेत
2. अतर सिंह आयु 53 साल पुत्र रामहेत
3. रनधीर उम्र 48 साल पुत्र रामहेत
4. किशन सिंह आयु 40 साल पुत्र रामहेत
5. महेन्द्र सिंह उम्र 55 साल पुत्र रामहेत
6. सोहनलाल उम्र 55 साल पुत्र गोपी

जाति जाटव निवासी नगला बमूरी तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पो0

7. सौमो देवी पत्नी रामशरन जाति जाटव निवासी अनाह पोस्ट सेवर तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 21.2.11 मि.नं. 198/06 उनवानी शिवचरन बनाम रामहेत।

अभिभाषक :–
1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 05.04.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम फरसो तहसील बयाना कुल किता 10 रकवा 2.63 है0 के निस्फ हिस्सा में अपीलाण्ट/वादी एवं असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पिता स्व0 गोपी 40 वर्ष से अपने पूर्वजो के समय से यानी संवत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हाने से पूर्व से काश्त करते चले आ रहे थे। किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि को केवल अपीलाण्ट/वादी ही काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी अपीलाण्ट/वादी का ही कब्जा काश्त सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा पर है। असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने अपने पिता के जीवनकाल से विवादित आराजी मुतनाजा को जोता बोया नहीं है, अतः अपीलाण्ट/वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार सृजित हो गये हैं। किन्तु राजस्व रिकार्ड में असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण के हक में खिलाफ मौका इन्द्राज खातेदारी हो गया है। उक्त इन्द्राजों के आधार पर असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण आये दिन विवादित आराजी को विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर दादरसी चाही कि आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट/वादी को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावें तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित; उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा कब्जे को साबित नहीं मानने में भारी कानूनी व वाकयाती भूल की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा अर्सा 40 वर्षो से अधिक पूर्व का होने के कारण खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गये हैं तथा पूर्व में एक मुकदमा शिवचरन बनाम रामपति में तरतीवी रैस्पो0 ने राजीनामा में अपीलाण्ट को उक्त विवादित भूमि पर कब्जा देकर खातेदार माना जाना स्वीकार किया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ऐसा ना करके विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाण्ट का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादी विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 1/2 भाग के खातेदारी अधिकार का दावा करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता संख्या 82 में अंकित विवादित आराजी में अपीलाण्ट के साथ–साथ रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 6, 1/2 भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। केवल तर्क के लिए अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा, रैस्पो0 को पृथक करते हुए माना भी जावें तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजन का प्रावधान नहीं है। यह कब्जा विधि अनुरूप होना आवश्यक है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकारो का सृजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नहीं हो सकता है। आर.बी.जे. 2011 पेज 387 में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अपने कथित कब्जे का कोई दस्तावेज व स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है; वहां पर मौखिक साक्ष्य का कोई कानूनी महत्व नहीं होता है तथा ना ही मौखिक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिए जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर